अति–आवश्यक (ई–मेल)
तिथिबद्ध

प्रेषक

निदेशक,
सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चंडीगढ।

सेवा में

शिक्षण संस्थान/कालेज(सूचि सलगन)
हरियाणा राज्य में

क्रमांक 18563 /आई0टी0/एस0जे0ई0/2019
चंडीगढ, दिनांक 17-09-2020

विषयः– National Scholrship Portal पर शिक्षण संस्थानों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय व दिव्यांगजन के छात्रो से आवेदन करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय व दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, New Delhi भारत सरकार, द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय व **दिव्यांगजन** के छात्रों की छात्रवृति क्रमशः प्री–मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मैरिट–कम–मिन्स/टोप क्लास के आवेदन करने की अंतिम तिथी 31.**10.2020** निश्चित की गई है। लेकिन वर्ष 2020–21 मे आपके शिक्षण संस्थान द्वारा नेशनल स्कालरशिप पोरटल पर छात्रवृति के लिये छात्रो से आवेदन नही करवाने के कारण वर्ष 2020–21 मे छात्रवृति के आवेदन बहुत कम ही रजिस्ट्रड हुए है। विज्ञापन की छायाप्रति साथ सल्गन है। अतः आप सभी शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकीरयो से अनुरोध है कि उक्त तिथि से पहले आप अपने–2 शिक्षण संस्थानो मे शिक्षा ग्रहण कर रहे अल्पसंख्यक व दिव्यांगजन छात्रो से नेशनल स्कालरशिप पोरटल पर आनलाईन आवेदन भरवाना सुनिश्चित करे। जिससे इन छात्रों को छात्रवृति का लाभ मिल सके। यदि आनलाईन आवेदन करने मे किसी भी कठनाई का सामना करना पडता है तो जिला नोडल अधिकारी से संपर्क करे। आनलाईन आवेदन करने की प्रकिया साथ सल्गन है।

कृपया इसको अधिमान देवे।

संलग्नः उपरोक्त

उप– निदेशक (आडिट) कम राज्य नोडल अधिकारी
(अल्पसख्यक व दिव्यांग छात्रवृति)
कृतेः निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।